शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 28 – 4 अगस्त 2025 मूल्य पांच रूपये

आसान नहीं होगा प्रदेश में कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन

हाईकमान के लिये भी एक चुनौती होगा सरकार और संगठन में तालमेल बिठाना

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार में मंत्री का एक पद खाली चला आ रहा है और संगठन की राज्य से लेकर ब्लॉक तक सारी कार्यकारिणीयां पिछले वर्ष नवम्बर से भंग चली आ रही है। यह स्थिति है प्रदेश में सरकार और संगठन की। इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है अब यह विषय आम आदमी में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कांग्रेस संस्कृति से जो लोग परिचित हैं वह जानते हैं कि सरकार बनने के बाद सब कुछ मुख्यमंत्री और सरकार के गिर्द घूमना शुरू कर देता है और संगठन दूसरे दर्जे की स्थिति में जब पहुंच जाता है। जब संगठन का मुखिया इस पर परोक्ष/अपरोक्ष में सवाल उठाना शुरू करता है तब कार्यकारिणीयों को ही भंग कर दिये जाने तक हालात पहुंच जाते हैं। हिमाचल में भी सरकार और संगठन में वांच्छित तालमेल के अभाव के समाचार कांग्रेस हाईकमान तक लगातार पहुंचते रहे हैं। बल्कि समाचारों से निकलकर शिकायतें तक भी हाईकमान के पास पहुंची। लेकिन जब किसी चीज का भी असर नहीं हुआ तब सरकार के होते हुये पार्टी में दल बदल हो गया। छः विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के साथ उपचुनाव हो गये। इन उपचुनावों में पार्टी अपने मूल आंकड़े चालीस तक फिर पहुंच गयी लेकिन लोकसभा की चारों ओर राज्यसभा की सीट भाजपा से हार गयी। इस हार जीत से न तो कांग्रेस हाईकमान ने कुछ सीखा और न ही प्रदेश में संगठन और सरकार में तालमेल बेहतर हो पाया है। यहां तक की तालमेल के लिये कमेटी तक का भी गठन हुआ परन्तु स्थितियां कार्यकारिणियों के भंग किये जाने तक पहुंचे गयी। अब सरकार की परीक्षा पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में फिर दाव पर होगी। इन चुनावों में हर वोटर और हर घर उसको विधानसभा चुनावों में दी गई गारंटीयों का हिसाब मांगेगा ।

सरकार के अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्री में भी कितना तालमेल चल रहा है इसका इसी से पता चल जाता है कि अब मंत्रिमण्डल की बैठकों से भी मंत्रियों का गैर हाजिर होना एक आम बात होती जा रही है। इस बार लगातार चार दिन मंत्रिमण्डल की बैठकें चली और एक मंत्री चारों ही दिन इसमें गैर हाजिर रहा। हाईकमान ने संगठन के पुनर्गठन के लिये दिल्ली में बैठक रखी। सारे मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक में हाईकमान के सामने सारा कुछ सामने आ गया है। यहां तक संज्ञान में ला दिया गया है कि सरकार में अफसरशाही किस कदर हावी है। कुल मिलाकर हिमाचल के बारे में खड़गे और राहुल को काफी जानकारियां इस बैठक में मिल गयी है। अफसरशाही किस कदर हावि है इसका बड़ा उदाहरण पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में ओबीसी को आरक्षण का फैसला है। हिमाचल में आज तक ओबीसी की अलग से जनगणना नहीं हुई है और जब कोई गणना ही नहीं हुई है तो आरक्षण किस आधार पर तय होगा। स्वभाविक है कि कोई गणना न होने से इस आरक्षण के प्रयास को कोई अदालत में चुनौती दे देगा और सारी प्रक्रिया स्टे करवा दी जायेगी। इसी तरह का चलन 2003 के बाद लगे कर्मचारियों की सेवा शर्तो में वाकायदा एक विधेयक पारित करवाकर बदलाव किया गया। इस बदलाव के कारण उनके वेतन में कटौती तक के आदेश जारी हुये। जिन्हें प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। स्वभाविक है कि जब इस तरह के परिदृश्य में एक सरकार चुनावों में जायेगी तो उसे क्यों और कितनी सफलता मिलेगी?

इसी परिदृश्य में यदि विरासत की राजनीति की भी प्रदेश में पड़ताल की जाये तो वर्तमान कांग्रेस में प्रदेश में स्व. ठाकुर रामलाल और स्व. वीरभद्र सिंह दो पूर्व मुख्यमंत्रीयों की अपनी अपनी विरासत अभी भी चल रही है। इनके वारिस इस विरासत का दोहन कर रहे हैं। लेकिन संयोगवश दोनों ही वारिस इस समय मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। स्व.वीरभद्र की प्रतिमा के प्रतिक्षित अनावरण की राजनीति ने इस विरासत में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया है और इससे अनायास स्व. वीरभद्र और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक रिश्ते फिर से चर्चा का विषय बनने लग गये हैं। इस तरह के राजनीतिक परिदृश्य में भावी संगठन और सरकार में किस तरह तालमेल बैठ पायेगा इस पर सबकी नज़रें लग गयी है । आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यह मानने लग पड़े हैं की वर्तमान सत्ता को इस बात से कोई लेना देना नहीं रह गया है कि उसे एक प्रभावी संगठन की आवश्यकता है। क्योंकि जब संगठन प्रभावित होने का प्रयास करेगा तो वह सत्ता को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियों निर्मित हो चुकी है उन सेअब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह सरकार अपने एक विशेष दायरे के बाहर आने को तैयार ही नहीं है और इस तरह प्रदेश में नया संगठन अब हाईकमान के लिए भी चुनौती बन जायेगा।

प्रदेश में 95 प्रतिशत जलापूर्ति योजनाएं बहाल

शिमला/शैल। प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग ने तत्परता और समर्पण का परिचय देते हुए 5440 जलापूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। यह कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 95 प्रतिशत है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में विभाग द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है।

प्रदेश में कुल 10,067 जलापूर्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें 3210 लिफ्ट, 335 ट्यूबवेल और 6522 ग्रेविटी आधारित योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में से भारी वर्षा के चलते 5805 योजनाएं प्रभावित हुई, परंतु विभाग ने बिना समय गंवाए इनमें से 5440 योजनाओं को चालू कर आमजन को राहत पहुंचाई। यह कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 95 प्रतिशत है। इन प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं को लगभग 434.47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 1293 सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी अनुमानित क्षति 101.67 करोड़ रुपये है। राज्य में स्थापित 43 बाढ़ सुरक्षा कार्यो को 19.77 करोड़ रुपये, 83 सीवरेज योजनाओं को 23.55 करोड़ रुपये तथा 319 हैंडपंपों को 81.52 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर प्रदेश में 7543 योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनकी कुल अनुमानित क्षति 580.30 करोड़ रुपये आंकी गई है।

उप-मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं की बहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाये। सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी प्रभावित योजनाओं को शीघ्र स्थायी रूप से बहाल किया जाएगा।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को आपदा से प्रदेश को हुए नुकसान की जानकारी दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य की विकासात्मक पहलों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को हुए नुकसान और नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इन आपदाओं के कारण प्रभावितों के घर और कृषि भूमि का भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तरीय नशामुक्त हिमाचल अभियान के बारे में प्रधानमंत्री को बताया कि इस अभियान को पंचायत स्तर तक लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के प्रयास में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

राज्यपाल ने हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन वर्ष-2047 तक नशा मुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि 'काशी घोषणा पत्र' मादक द्रव्यों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार और समाज के बीच साझे प्रयासों की वकालत करता है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत काशी घोषणा पत्र के सिद्धांतों को गंभीरता से लागू किया जाएगा।

राज्यपाल ने मार्कंडेय मंदिर में पूजा-अर्चना की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी

शुक्ला ने पवित्र श्रावण माह के पावन अवसर पर बिलासपुर के ऐतिहासिक मार्कंडेय मंदिर में पूजा-अर्चना की।

राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ऋषि मार्कंडेय को भगवान शिव और भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। यह मंदिर प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिल स्थलों में से एक है।

मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान राज्यपाल ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे की जानकारी दी। आपदा के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा की इस घड़ी में क्षेत्र के लोगों ने साहन और दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, लोगों का मनोबल मजबूत बना हुआ है। उन्होंने प्रार्थना की है कि ऋषि मार्कंडेय प्रदेश के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी रक्षा करें।

राज्यपाल ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हाल ही में मंडी जिला

में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

राज्यपाल ने जेल रोड के पास स्थित टुंगल कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से भेंट कर कुशलक्षेम जाना और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को समय पर रहने के लिए स्थान , भोजन, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

इस दौरे के दौरान राज्यपाल ने राहत कार्यो की समीक्षा की और अधिकारियों को राहत कार्यो में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, आपदा राहत टीमों और स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना की।

राज्यपाल ने पंचायत भवन का भी दौरा किया, जहां विस्थापित परिवारों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यहां प्रभावित परिवारों से भेंट कर उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने जेल रोड पर नुकसान का जायज़ा लिया और ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, पढल का भी दौरा किया। वहां उन्होंने, इस आपदा में अपने तीन परिजनों को खो देने वाले परिवार से भी भेंट कि। राज्यपाल ने परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राज्यपाल को जिले में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यो की जानकारी दी।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राजभवन में वर्ष

2024-25 की आयोग की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य कर्नल राजेश कुमार शर्मा और डॉ. अंजू शर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवधि में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आयोग के प्रयासों के लिए आयोग के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि हाल के वर्षो में आयोग ने दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल युग के अनुरूप तकनीकी समाधानों को अपनाने के उद्देश्य से कई संस्थागत सुधार किए हैं। इन उपायों से जनता का विश्वास आयोग की कार्यप्रणाली पर और अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और सुशासन को बढ़ावा देने के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने सिराज के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग, बगस्याड़ और जंजैहली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भेंट कर आवश्यक राहत सामग्री

वितरित की।

राज्यपाल ने सबसे पहले थुनाग में आपदा प्रभावितों से बातचीत की और कहा कि हाल ही में प्राकृतिक आपदा से थुनाग उपमंडल में निजी संपत्ति, जमीन और पशुधन का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि के मामलों को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है।

उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर विचार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

राज्यपाल ने बगस्याड़ स्थित राहत शिविर का भी दौरा किया और थुनाग में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आपदा प्रभावितों से बातचीत की। इसके उपरान्त उन्होंने पंचायत घर पाखरेड का दौरा किया और झुंडी तथा पाखरेड पंचायतों के प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल ने जंजैहली में आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी।

उन्होंने कहा कि राजभवन से मंडी के लिए पांच ट्रक और कुल्लू के लिए एक ट्रक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध किये जाने पर और सहायता शीघ्र भेजी जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सामूहिक रूप से उन पर कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा आपदा के कारणों और क्षति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा गया है, जो भविष्य की योजना और राहत प्रयासों में सहायता प्रदान करेगा।

राज्यपाल के साथ उपस्थित विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग अभी भी गहरे सदमे में हैं क्योंकि उनकी आजीविका के स्रोत नष्ट हो गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने रेडक्रॉस के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पुनर्वास एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि अधिकांश प्रभावित लोग अभी भी अस्थायी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं।

इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी राज्यपाल के साथ अपने अनुभव और समस्याएं साझा कीं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

एचआईवी और सिफलिस के वर्टिकल्स ट्रांसमिशन के उन्मूलन पर बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ने एनएचएम और हिमाचल प्रदेश राज्य नियन्त्राण समिति एचपीएसएसीएस के मध्य एचआईवी एवं सिफलिस के वर्टिकल ट्रांसमिशन ईवीटीएचएस उन्मूलन के उद्देश्य से आयोजित एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में एचआईवी और सिफलिस की शीघ्र पहचान एवं प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करना था।

बैठक में सभी गर्भवती महिलाओं विशेषकर उन महिलाओं जो स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाती हो, उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, घर पर प्रसव करवाने वाली महिलाओं के लिए जांच और परामर्श की रणनीति विकसित करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य हर गर्भवती महिला की समय पर स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल और उपचार उपलब्ध करवाना है और यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस अवसर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार आईईसी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि एनएचएम, एचपीएसएसीएस तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी सहयोग और सक्रियता से कार्य करे तो राज्य में एचआईवी और सिफलिस के वर्टिकल्स ट्रांसमिशन को रोकने में सफलता हासिल की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश एड्स नियन्त्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थिति थे।

आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके दृष्टिगत

आरक्षण रोस्टर को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आइटीआई, पॉलटैक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठयक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया।

प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के पांच और विधि अधिकारी हिन्दी के दो पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पिति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को पांच हजार रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम छः माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी।

विनिर्माण ईकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्अरी संयंत्रों में दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा।

बैठक में जिला कांगड़ा में दस लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुर्ननीलामी को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के राजस्व में 18.82 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

बैठक में 50 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए, हिमाचल सड़क परिवहन निगम एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों को 'हिम बस कार्ड' जारी करने की अनुमति दी है।

हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामलों के निपटान की योजना-2025 के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना एक सितंबर, 2025 से तीन महीने तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का निपटारा करना है। इस योजना में वित्त वर्ष 2020-21 तक के पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य मूल्य वर्धित कर वैट से संबंधित मामले भी शामिल किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकृत करने के लिए वन टाईम लैगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगी। एक अनुमान के अनुसार, राज्य में ऐसे लगभग 2795 वाहन हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की उन सिफारिशों को स्वीकृति दी गई, जिनका उद्देश्य खाली पड़ी सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई है, जो ऐसे विभागों, बोर्डो और निगमों को कार्यस्थल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी।

मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सोलन नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड नंबर-8 के अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेला क्षेत्र को बाहर करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने एआईसीसी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय

सम्मेलन में संवैधानिक चुनौतियां: परिप्रेक्ष्य एवं मार्ग के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की।

'धर्म और संविधान' विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राज्य का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक धर्म का सम्मान एवं देश के शांति व सौहार्द की प्राचीन परम्पराओं को कायम रखना चाहिए। सर्व धर्म समभाव की विचारधारा पर चलते हुए देश में भाईचारे की भावना को पोषित किया जाना चाहिए, जो धर्मनिपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता का मजबूत आधार है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है और देश की विविधता ही देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं और इन समृद्ध मूल्यों के अभाव में समाज में हिंसा और संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म लोगों को आपस में जोड़ता है और धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, डॉ. अभिषेक सिंघवी, अलका लांबा, प्रमोद तिवारी और अन्य ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध:शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि जिला शिमला की रझाणा पंचायत में राज्य स्तरीय कोली समाज सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक भवन के निर्माण से समाज के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को इसके निर्माण से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा द्वारा इस महत्त्वपूर्ण परियोजना का निष्पादन किया जाएगा और इसके निर्माण कार्यो में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा संवेदनशील वर्गो के उत्थान की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हिमाचल के निर्माण में कोली समुदाय महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। सरकार वंचित वर्गो के परिवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। बैठक में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के निदेशक सुमित खिमटा एवं वन विभाग और हिमुडा के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भीषण वर्षा से प्रभावित मंडी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे मंत्री ने वार्ड नंबर 5 स्थित जेल रोड व पैलेस क्षेत्र के साथ-साथ ज़ोनल अस्पताल मार्ग, कल्याण धाम, सैण मुहल्ला और अन्य प्रभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया।

मंत्री ने इस दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक तीन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 22 से 25 घरों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने बताया कि राहत और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर भारी चट्टानें गिरने से रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं, जिन्हें रोबो मशीन से कटूोल ब्लास्टिंग के माध्यम से हटाया जाएगा ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अब आपदा पूर्व प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे समय रहते आपदा की चेतावनी दी जा सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान अनियंत्रित कटिंग पर पूरी सख्ती बरती जाएगी और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित नई नीतियां लागू की जाएंगी।

राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने पहली बार कमाया 315 करोड़ रुपए का लाभ

शिमला/शैल। लंबे समय से घाटे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एचपीएसईबीएल ने इतिहास में पहली बार में 315 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक लाभ कमाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड का यह लाभ इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है और यह प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उठाए कदमों और दूरदर्शी फैसलों ने प्रदेश को आर्थिक मजबूती की दिशा में अग्रसर किया है। यह ऐतिहासिक लाभ केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 'नई सोच, नया हिमाचल' की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एचपीएसईबीएल का घाटा 31 मार्च 2024 तक 3,742 करोड़ तक पहुँच गया था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्ड में सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बोर्ड को घाटे से उबारते हुए मुनाफा तक पहुंचाने में मदद की।

सत्ता में आने के बाद पहले दिन से ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 'आर्थिक सुधार और सुशासन' को प्राथमिकता दी है और कई घंटों तक अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए, सभी सरकारी उपक्रमों को अपने कार्यो में व्यावसायिक दक्षता लाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करने को कहा। विद्युत बोर्ड ने सरकार के इस विजन को धरातल पर उतारते हुए वित्तीय अनुशासन, खर्च में कटौती और राजस्व सुधार के माध्यम से इस उपलब्धि को हासिल किया।

राज्य सरकार की पहल पर, बोर्ड अपने कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने में भी सक्षम बना है। बोर्ड की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के लिए ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन एरियर, एवं अवकाश नकदीकरण जैसे मदों के लिए 368.89 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जो पिछले वर्ष केवल 87.56 करोड़ रुपए थी। केवल 31 जुलाई 2025 तक ही इन मदों में 187.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो राज्य सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एचपीएसईबीएल प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की स्पष्ट नीति, ईमानदार प्रशासन और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सुधारात्मक कदम उठाती रहेगी, जिससे प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए जनता को सस्ती और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से बोर्ड पूर्ण रुप से आत्मनिर्भर बनेगा, जिसका लाभ कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रदेश की जनता को भी होगा।

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में भी सुधार लाए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में 16 राज्यों को पछाड़ कर 21वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंचा है, इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व, मजबूत इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता को जाता है।

पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे फिर वह आप पर हसेंगे फिर वह आप से लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी से सबक सीखेगी सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल की पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश जल्द ही नक्शे से विलुप्त हो जायेगा। यह चेतावनी सरकार द्वारा नोटिफाई ग्रीन बेल्ट एरिया को लेकर आयी है। इस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने यह चिन्ता और चेतावनी व्यक्त की है। ऐसी चेतावनियां और चिंताएं प्रदेश उच्च न्यायालय भी पूर्व में रिटैन्शन पॉलिसीयों को लेकर देता रहा है जिन पर कभी अमल नहीं किया गया है। इस बार बरसात में जिस तरह से बादल फटने और लैण्ड स्लाइड्स की घटनाओं में बढ़ौतरी हुई है उससे एक स्थायी डर का माहौल निर्मित हो गया है। जितनी जान माल की हानि इस बार हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई है। प्रदेश का कोई जिला इस विनाश से अछूता नहीं रहा है। मण्डी जिले में जो त्रासदी घटी है उसने बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया है। क्योंकि आज जिस मुहाने पर प्रदेश आ पहुंचा उसके लिए यहां की सरकारें और प्रशासन ही जिम्मेदार रहा है। इसलिए आज आम को अपने स्तर पर इस पर सजग होकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होना होगा। 1977 से लेकर आज तक आयी हर सरकार ने इस विनाश में योगदान किया है। हिमाचल पहाड़ी राज्य है लेकिन हमारी सरकारें यह भूल कर इसका विकास मैदानों की तर्ज पर करने की नीतियां बनाती चली गई। जिसका परिणाम है कि इस बार बरसात ने करीब दो सौ लोगों की आहुति ले ली है।

हिमाचल निर्माता डॉ.परमार ने भू-सुधार अधिनियम में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी गैर कृषक हिमाचल में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जमीन नहीं खरीद सकता। सरकार की अनुमति के साथ भी केवल मकान बनाने लायक ही जमीन खरीद सकता है। परन्तु हमारी सरकारों ने सबसे ज्यादा लूट और छूट इसी 118 की अनुमति में कर दी। हर सरकार पर हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगे हैं। धारा 118 की अनुमतियों को लेकर चार बार तो जांच आयोग गठित हो चुके है। परन्तु किसी भी जांच का परिणाम ऐसा नहीं रहा है कि यह दुरुपयोग रुक गया हो। आज चलते-चलते हालात प्रदेश में रेरा के गठन तक पहुंच गये हैं। इस धांधली में राजनेताओं से लेकर शीर्ष अफसरशाही सब बराबर के भागीदार रहे हैं। हिमाचल भूकंप रोधी जोन चार में आता है इसलिये यहां पर बहुमंजिलें निर्माणों पर रोक है। प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एनजीटी तक सब इस पर चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन इस चिन्ता का परिणाम जमीन पर नहीं उत्तर पाया है। शिमला को लेकर तो यहां तक अध्ययन आ चुका है कि एक हल्के भूकंप के झटके में चालीस हजार लोगों की जान जा सकती है। प्रदेश उच्च न्यायालय इसको लेकर कड़ी चेतावनी दे चुका है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद शिमला में नौ बार रिटैन्शन पॉलिसीयां आ गयी। शिमला हरित पट्टिया चिन्हित हैं परन्तु उनकी अनदेखी शीर्ष पर बैठे लोगों से शुरू हुई है। आज भी वर्तमान सरकार ने बेसमैन्ट और ऐटीक को लेकर जो नियमों में बदलाव किया है क्या उसमें कहीं इस त्रासदी का कोई प्रभाव दिखता है? शायद नहीं।

1977 में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र और पनविद्युत परियोजनाओं तथा सीमेंट उद्योग की तरफ सरकारों की सोच गई। 1977 के दौर में जो उद्योग सब्सिडी के लिए प्रदेश में स्थापित हुये क्या उनमें से आज एक प्रतिशत भी दिखते हैं। शायद नहीं। पनविद्युत परियोजनाओं सीमेंट उद्योगों के लिये सैकड़ो बीघा जमीने लैण्ड सीलिंग की अवहेलना करके इन उद्योगों को दे दी गयी। चम्बा 65 किलोमीटर तक रावी हैडटेल परियोजनाओं की भेंट चढ़ गयी। उच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट लगी हुई है। किन्नौर में स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं का विरोध किया है क्या उसका कोई असर हुआ है। इन परियोजनाओं से जो बचा था उसे फोरलेन परियोजनाओं की भेंट चढ़ा दिया। आज यदि समय रहते प्रदेश के विकास की अवधारणा पर ईमानदारी से विचार करके उसके अनुरूप कदम न उठाये गये तो सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी को सही साबित होने में बड़ा समय नहीं लगेगा। शिमला और धर्मशाला में जो नुकसान हुआ है क्या उससे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है?

बहुभाषी, समावेशी शिक्षा अब व्यापक स्तर पर साकार

– धर्मेन्द्र प्रधान –
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार

एनईपी के पांच वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाषा के चयन से लेकर कौशल पर बल तक, इसकी अवधारणाओं ने कक्षा के अनुभव को मूल रूप से बदल दिया है।

2020 में भारत ने केवल एक नई नीति नहीं अपनाई, बल्कि एक प्राचीन आदर्श को फिर से जीवंत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) ने सीखने को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया और इसे हमारी सभ्यतागत परंपराओं से जोड़ा। स्वर्गीय डॉ. के. कस्तूरीरंगन जी के नेतृत्व में तैयार की गई यह नीति इतिहास की सबसे व्यापक जन-सहभागिता वाली नीति-निर्माण प्रक्रिया में से एक थी। यह एक ऐसा दूरदर्शी रूपरेखा थी जो सांस्कृतिक मूल्यों में निहित था। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना थी जो रटने की प्रवृत्ति, कठोर ढांचों और भाषाई ऊंच-नीच से परे हो-समावेशी, सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार।

पांच वर्षों में NEP का असर केवल नीतियों तक नहीं, बल्कि कक्षाओं तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण, रटने की पद्धति की जगह ले चुका है। बच्चे अपनी मातृभाषा में सहजता से पढ़ रहे हैं। छठी कक्षा के विद्यार्थी व्यावसायिक प्रयोगशालाओं में हाथों-हाथ कौशल सीख रहे हैं। अनुसंधान संस्थानों में भारत का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ संवाद कर रहा है। NEP की सोच STEM क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक मंचों पर भारतीय संस्थानों की उपस्थिति में भी झलकती है।

निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat Mission) ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को कक्षा 2 तक सुनिश्चित किया है। ASER 2024 और परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जैसी रिपोर्टों में यह प्रगति परिलक्षित होती है। आज की कक्षाएं जिज्ञासा और समझ का केंद्र बन चुकी हैं। विद्या प्रवेश और बालवाटिका जैसी पहलें अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को व्यवस्थित रूप से एकीकृत कर रही हैं। 22 भारतीय भाषाओं में जादुई पिटारा और ई-जादुई पिटारा, नई पीढ़ी की पाठय पुस्तकों के साथ, शिक्षा को रुचिकर बना रहे हैं। NISHTHA प्रशिक्षण के माध्यम से 14 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं और DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षण सामग्री को देशभर में सुलभ बना रहे हैं।

NEP ने यह स्पष्ट किया कि भाषा कोई बाधा नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। 117 भाषाओं में प्राइमर विकसित किए गए हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (NationalDigital Depository) for Indian Knowledge Systems जैसी योजनाएं भाषाई और सांस्कृतिक ज्ञान को लोकतांत्रिक बना रही हैं।

National Curriculum Framework (NCF) और कक्षा 1 से 8 की नई किताबें अब जारी हो चुकी हैं। प्रेरणा (PRERNA) एक सेतु कार्यक्रम है जो छात्रों को नई पाठयचर्या में सहजता से ढालने के लिए मार्गदर्शन करता है, ताकि वे अभिभूत न हों, बल्कि हर चरण में सहयोग प्राप्त करें।

समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) और पीएम पोषण (PMPoshan) जैसी योजनाओं ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन को संभव बनाया है। NEP का प्रभाव वंचित समूहों तक भी पहुंचा है। 5,138 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 7.12 लाख से अधिक वंचित समुदायों की बालिकाएं नामांकित हैं। धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 692 और PVTG छात्रों के लिए 490 से अधिक छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। प्रशस्त कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगता की पहचान कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक समावेशी व सशक्त बनाया गया है।

NEP 2020 के परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ हैं 14,500 पीएम-श्री स्कूल (PM SHRI Schools) जो आधुनिक, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये विद्यालय NEP के विजन के अनुरूप आदर्श मॉडल स्कूल बन रहे हैं, जो बुनियादी ढाँचे और शिक्षण पद्धति दोनों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। विद्यांजलि प्लेटफॉर्म ने 8.2 लाख स्कूलों को 5.3 लाख से अधिक volunteers और 2,000 CSR पार्टनर्स से जोड़ा है, जिससे 1.7 करोड़ छात्रों को सीधा लाभ मिला है।

उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.46 करोड़ हो गया है। 30.5% की बढ़ौत्तरी। इनमें लगभग 48% छात्राएं हैं। महिला PhD नामांकन 0.48 लाख से बढ़कर 1.12 लाख हो गया है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों का बढ़ता नामांकन उच्च शिक्षा में समावेशिता का ऐतिहासिक संकेत है। महिला GER लगातार छह वर्षों से पुरुषों से अधिक रहा है।

मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, Academic Bank of Credits, और National Credit Framework जैसे नवाचारों ने शिक्षा को विकल्पों से भरपूर और छात्र-केंद्रित बनाया है। 21.12 करोड़ APAAR IDs उपलब्ध कराई गई हैं। 153 विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री और 74 में एग्जिट विकल्प उपलब्ध हैं। अब सीखना क्रमबद्ध नहीं, बल्कि मॉडयूलर है।

NEP के अनुसंधान और नवाचार पर ज़ोर ने भारत के Global Innovation Index को 81वें स्थान से 39वें तक पहुंचाया है। 400 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में 18,000 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेट किए गए हैं। अनुसंधान NRF, PMRF 2.0, और 6,000 करोड़ की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शोध को विकेंद्रीकृत और सुलभ बना रही हैं।

Swayam और Swayam Plus जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 5.3 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं। DIKSHA और PM e-Vidya के 200+DTH चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री देश के हर कोने में उपलब्ध हो रही है। द्विवार्षिक प्रवेश, डुअल डिग्री जैसी व्यवस्थाएं उच्च शिक्षा को और अधिक समावेशी, बहुविषयक और उद्योगोन्मुखी बना रही हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थान शामिल हुए हैं, जबकि 2014 में केवल 11 थे। Deakin, Wollongong और Southampton जैसे वैश्विक विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित कर रहे हैं।

परिवर्तन की इस यात्रा का उत्सव अखिल भारतीय शिक्षा समागम के माध्यम से मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मूल्यांकन शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के शांत आत्मविश्वास में हो रहा है। हमें अपने परिसरों को हराभरा बनाना, महत्वपूर्ण अनुसंधान अवसंरचना का विस्तार करना और सीखने के परिणामों को और अधिक गहरा करना जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश बन चुकी है। जहाँ शिक्षा है, वहीं प्रगति है। एक अरब जागरूक और सशक्त नागरिक केवल जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं हैं, बल्कि नए भारत का सुपरनोवा हैं।

शहरी विकास को नई दिशा दे रही हिमाचल सरकार

74 शहरी स्थानीय निकायों में तेजी से हो रहा विकास

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। दिसंबर 2024 में सरकार ने 14 नई नगर पंचायतों का गठन करने के अतिरिक्त तीन नगर पंचायतों को नगर परिषद में और हमीरपुर, ऊना तथा बद्दी को नगर निगम में स्तरोन्नत किया है। शिमला, धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी पहले से ही नगर निगम के रूप में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

हिमाचल में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई है, जिनमें 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय में यह विस्तार राज्य सरकार की समावेशी, योजनाबद्ध शहरी विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। इन नवगठित और स्तरोन्नत शहरी निकायों के बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में 10.75 करोड़ रुपये की विकास अनुदान राशि प्रस्तावित की गई है। इस धनराशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, स्वच्छता, पार्कों और पार्किंग जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा। हमीरपुर, ऊना और बद्दी नगर निगमों को प्रति नगर निगम एक करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। नादौन, बैजनाथ – पपरोला और सुन्नी नगर परिषदों को प्रति नगर परिषद 25 लाख रुपये और 14 नई नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने तीन वर्ष तक संपत्ति कर से छूट और वर्तमान जल दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना' का विस्तार कर रही है। इस योजना के तहत सालाना 10 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को एक लाख रुपये तक का बैंक ऋण एकमुश्त सहायता के रूप में दिया जाएगा, जिसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। इससे फल – सब्जी विक्रेता, चाय वाले, मोची, नाई और अन्य छोटे व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे और उनकी आजीविका में सुधार होगा। यह योजना शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी।

राज्य सरकार ने 'वन स्टेट, वन पोर्टल – सिटीजन सेवा' की भी शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। यह प्लेटफॉर्म शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान की साझेदारी में तैयार किया गया है और ऑनलाइन प्रशासन प्रदान करने के लिए शहरी मंच (यूपीवाईओजी) फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी शहरी निकायों में नागरिकों को पारदर्शी, सरल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। अब तक इस पोर्टल पर 9 सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और कुल 45 सेवाओं को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार ने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों जैसे महापौर, उप – महापौर, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है, जिससे स्थानीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी और जनप्रतिनिधियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार अब सभी जिलों में म्युनिसिपल कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। यह केंद्र प्रदेश में उन्नत शहरी योजना, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने में सहायता करेंगे। इसके लिए 49.98 करोड़ रुपये की योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। साथ ही 'अर्बन चैलेंज फंड' के तहत रचनात्मक शहरी पुनर्विकास, जल और स्वच्छता सुधार तथा सार्वजनिक – निजी भागीदारी जैसे नवाचार आधारित वित्तीय मॉडलों को शामिल करते हुए योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

शहरी विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये योजनाएं 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य के सहयोग से चलाई जा रही हैं और शहरी बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, आवास और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं।

हिमाचल प्रदेश अब एक ऐसे आधुनिक शहरी विकास की ओर अग्रसर है जो जनहितकारी, तकनीक – आधारित और समावेशी है। योजनाबद्ध विकास, वित्तीय सहायता और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से सरकार राज्य के शहरों और कस्बों को सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार कर रही है। यह परिवर्तन हिमाचल को एक प्रगतिशील और विकसित शहरी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पद संभाला

शिमला/शैल। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, एवीएसएम, एनएम ने 01 अगस्त 2025 को नौसेना के 47वें उप प्रमुख (वीसीएनएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर, इस फ्लैग ऑफिसर ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली में पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के 71वें कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को 01 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ था। ये गनरी और मिसाइल

प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक के अपने विशिष्ट नौसैनिक करियर में विभिन्न प्रकार के कमांड, ऑपरेशनल और स्टाफ कार्यभार संभाले हैं।

समुद्र में, फ्लैग ऑफिसर ने विभिन्न अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर सेवा की है, जिनमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर, आईएनएस निशंक के कमीशनिंग क्रू और तटरक्षक ओपीवी आईसीजीएस संग्राम के प्री – कमीशनिंग क्रू शामिल हैं। उन्होंने आईएनएस मैसूर के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने तटरक्षक जहाज सी – 05, मिसाइल पोत आईएनएस विभूति और आईएनएस नाशक, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुठार और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री (कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर) की कमान संभाली है। फरवरी 2020 में, उन्होंने पूर्वा बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला और गलवान की घटनाओं के बाद, बढ़ी हुई समुद्री गतिविधि के दौरान कई ऑपरेशनल तैनाती और अभ्यासों का नेतृत्व किया।

डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, नेवल वॉर कॉलेज, गोवा, और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से स्नातक, फ्लैग ऑफिसर ने प्रमुख रणनीतिक और नीति – उन्मुख स्टाफ भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नौसेना मुख्यालय में उनकी नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक और कार्मिक निदेशक (नीति), नौसेना योजना निदेशक (परिप्रेक्ष्य योजना) और प्रधान नौसेना योजना निदेशक शामिल हैं।

फरवरी 2018 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद, उन्होंने पूर्वी बेड़े की कमान संभालने से पहले सहायक नौसेनाध्यक्ष (नीति एवं योजना) के रूप में कार्य किया। असाधारण नेतृत्व और अत्यंत उच्च कोटि की सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट के रूप में कार्य किया और बाद में, दिसंबर 2021 में, उन्हें पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने ईएनसी की परिचालन तत्परता, कार्मिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार का नेतृत्व किया।

वीसीएनएस का कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने एकीकृत रक्षा स्टाफ (डीसीआईडीएस) के उप प्रमुख – संचालन और उसके बाद आईडीएस मुख्यालय में डीसीआईडीएस (नीति, योजना और बल विकास) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संचालन के समन्वय, एकीकरण को बढ़ाने, संयुक्तता, बल विकास और तीनों सेवाओं में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वाइस एडमिरल संजय वात्सायन का विवाह सरिता से हुआ है। उनका एक बेटा है, जो अर्थशास्त्र में स्नातक है और जिसने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है। उनकी एक बेटी भी है, जिसने मानविकी में स्नातक किया है।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से साकार हुआ आशियाने का सपना

करसोग में 202 जरूरतमंद परिवारों को मिला पक्का घर, वर्ष 2025 के लिए 30 नए मकानों को स्वीकृति

कभी कच्ची दीवारों और टपकती छतों के नीचे जिंदगी काट रहे परिवार आज पक्के और सुरक्षित आशियानों में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। करसोग उपमंडल में यह बदलाव राज्य सरकार की महत्वकांक्षी 'स्वर्ण जयंती आश्रय योजना' और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच और गरीबों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से संभव हो पाया है।

गत दो वर्षों में करसोग उपमंडल के 202 पात्र लाभार्थी परिवारों को अपने पुराने, असुरक्षित घरों के स्थान पर पक्का आवास मिला है। उपमंडल में इन पक्के घरों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की गई है। यह राशि विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाने पर व्यय की गई है।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की गई, जिससे वे योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कर सकें। इस योजना ने उन परिवारों के जीवन को सहेजा है जो बरसों से एक सुरक्षित छत के लिए संघर्ष कर रहे थे।

लाभार्थियों ने जताया आभार

योजना से लाभान्वित हुए परिवारों की आंखों में अब राहत और संतोष की चमक देखने को मिल रही है। भंथल गांव के जगदीश कुमार और ज्ञान चंद, भुटी सनारली के यशवंत सिंह तथा सुन्नी देवी इत्यादि ने बताया, 'राज्य सरकार की घर बनाने की इस योजना से हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। अब हमारे पास एक सुरक्षित और पक्का घर है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे।

वर्ष 2025 के लिए 30 और मकान स्वीकृत

योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए करसोग उपमंडल में 30 और नए मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 75,000 प्रति लाभार्थी राशि जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

स्वयं कर रहे निगरानी

तहसील कल्याण अधिकारी करसोग भोपाल शर्मा ने बताया कि लाभार्थियों से सीधे संवाद कर निर्माण कार्यों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मकान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से बने। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर

'स्वर्ण जयंती आश्रय योजना' केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार हर गरीब, वंचित और असहाय व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

करसोग के गांवों में आज जो पक्के मकान खड़े हैं, वे केवल मात्र ईंट और सीमेंट की दीवारें भर नहीं हैं बल्कि वे एक ऐसे शासन या सरकार की नीतियों के प्रतीक हैं जो जनता की ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है और विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में विश्वास रखती है।

करूणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी वार्षिक आय पात्रता 2.50 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करूणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित

नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा पांच प्रतिशत कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की। यह उप-समिति को दो माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इसने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सड़क काटने के कार्य में शामिल ठेकेदारों या एजेंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गाद निकालने और रखरखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी बचे हुए कच्चे माल या तैयार उत्पाद के साथ-साथ उत्पन्न संपूर्ण सामग्री की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित समिति द्वारा की जाएगी।

बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए राज्य सरकार और अलाईन्स एयर एविएशन लिमिटेड के मध्यम समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिम ऊर्जा के तहत पांच मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी, जिनका काम लंबे समय से रूका हुआ था। ये परियोजनाएं अब पुनः विज्ञापित की जाएंगी। इसके साथ ही भविष्य में जो भी पांच मेगावाट तक की परियोजनाएं दी जाएंगी, उन पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी और एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए देना अनिवार्य होगा।

मंत्रिमंडल ने पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली उन 22 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी, जिनके साथ अब तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है और जिन्हें पहले ऊर्जा विभाग ने आवंटित किया था। बाकी बची परियोजनाओं को अपने नोटिस का जवाब देने के लिए 5 अगस्त, 2025 तक का समय दिया गया है।

बैठक में 14 परियोजना डवैल्पर्ज के साथ बिना ब्याज अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि पर अदालत से बाहर समझौता करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए 'भूमि अधिग्रहण' पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के तहत समयसीमा को एक वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सौंदर्य को संरक्षित करते हुए क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

बैठक में कांगड़ा जिला में पटवार सर्कल नलेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई जिसके तहत देहरा तहसील के महाल-मसोटा और बलाहर क्षेत्र को हटाकर प्रागपुर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्कल गढ़ में शामिल कर दिया गया है।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में नशे की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें आबकारी एवं कराधार विभाग द्वारा इस गंभीर चुनौति से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों और पहलों के बारे में बताया गया।

सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सेब उत्पादक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से

भेंट कर उन्हें संघ की विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों और सेब उत्पादकों के साथ है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सेब उत्पादकों को राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सेब उत्पादकों के एक भी पेड़ को काटने नहीं दिया जाएगा। करसोग तथा कुल्लू घाटी में न्यायालय के आदेश के उपरांत हुई कथित पेड़ कटान की जांच के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर वे केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष भी प्रदेश का पक्ष रखेंगे। प्रदेश सरकार संबंधित मामलों पर चर्चा कर एक नीति बनाएगी, ताकि सेब उत्पादकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भूमिहीन हो चुके आपदा प्रभावित परिवारों को एक से पांच बीघा भूमि आबंटित करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का 68 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है इसलिए पुनर्वास के लिए वन मानकों में ढील देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से भी केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखने का आग्रह किया गया है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी सेब उत्पादकों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं और हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों की तर्ज पर इन प्रभावितों को भी वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत राहत प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

पूर्व महापौर संजय चौहान और सीपीएम नेता डॉ. कुलदीप सिंह तंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

53 करोड़ रुपये से होगा सहकारिता विभाग का डिजिटलीकरण

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री

➢ सहकारिता विभाग के कंप्यूटरीकरण से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता और कार्यकुशलता

➢ पहले चरण में 870 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण कार्य पूर्ण किया गया दूसरे चरण में होगा 919 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से जोड़ने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विभाग में डिजिटलीकरण कार्यक्रम लागू किया गया है, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता समितियों से आम लोग जुड़े हुए होते हैं और उनमें उनकी पूंजी का निवेश होता है, इसलिए समितियों के संचालन में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश मे 1,789 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण के लिए 53 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में 22.18 करोड़ रुपये कंप्यूटरीकरण के कार्य के लिए खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 870 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 919 पीएसीएस को कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित किया गया है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की यह पहल केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और आर्थिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी तथा समितियों का संचालन पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित होगा।

सहकारिता विभाग ने समितियों की ऑडिट प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए 30 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं, जो ऑडिटरों को प्रशिक्षित करेंगे। सभी सहकारी समितियों का ऑडिट 30 सितंबर, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 1,153 पीएसीएस को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं जैसे टेली-लॉ, टेलीमेडिसिन, पेंशन, प्रमाण पत्र, बैंकिंग सेवाएं आदि उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को गांव में ही अनेक सरकारी सेवाएं सुलभ होगी।

प्रदेश में सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। इस डेटाबेस के माध्यम से समितियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआई आधारित निगरानी संभव होगी, जिससे प्रशासनिक निर्णय और नीति निर्माण में पारदर्शिता बढ़ेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को सक्षम, स्वावलंबी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक संगठन नहीं, यह जनता का विश्वास है। इनके सशद्व और पारदर्शी होने से राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

पीआईबी शिमला ने मनाया 44 वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी, शिमला ने अपना 44 वां स्थापना दिवस मनाया.

पीआईबी, शिमला कार्यालय की स्थापना एक अगस्त 1981 को हुई थी. तब यह कार्यालय मॉल रोड पर एलवियन काटेज नामक एक निजी परिसर में संचालित होता था. बाद में, यह करीब 25 साल पहले अपने मौजूदा परिसर सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित शिवालिक भवन में आ गया।

इस अवसर पर पीआईबी और केन्द्रीय संचार ब्यूरो, शिमला के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रचारित करने का काम करती है।

पीआईबी संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, एक्सप्लेनर, फैक्टशीट, फीचर लेख, फोटोग्राफ, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के माध्यम से भी जानकारियों का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त, पीआईबी सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के बारे में मीडिया कर्मियों को अवगत कराने एवं जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेस सम्मेलनों, वार्तालाप, प्रेस ब्रीफिंग, केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों की कवरेज,केन्द्रीय कार्यालयों की गतिविधियों का प्रचार जैसे विभिन्न कार्य किये जाते हैं ।

मंत्रिमंडलीय उप–समिति ने प्रदेश में भूकंप–रोधी निर्माण कार्यों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके 1,386 पात्र जल रक्षकों वाटर गार्ड्स को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना एमआईएस के अंतर्गत 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे को 12 रुपये प्रति किलोग्राम, गलगल 10 रुपये प्रति किलोग्राम और सीडलिंग, कलमी और कच्चा अचारी आम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संबंधी मंत्रिमंडलीय उप–समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में उप–समिति का गठन राज्य की आपदा तैयारी और पुनर्वास तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों की जांच और सुझाव देने के लिए किया गया था। उप–समिति ने राज्य भर में भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करवाने की सिफारिश की है ताकि उनकी आपदा

सहनशीलता का आकलन किया जा सके। ऑडिट के आधार पर, आपदाओं के दृष्टिगत संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय किए जाएंगे। आपदा–प्रतिरोधी बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल देते हुए, समिति ने प्रदेश में भूकंप–रोधी निर्माण कार्यों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। आपदा प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, उप–समिति ने होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए के आपदा प्रबंधन सेल के साथ एकीकृत करने का भी सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के देहरा स्थित बनखंडी में दुर्गेश–अरण्य प्राणी उद्यान के विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत 325 वृक्षों के स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के देहरा में एक नया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश के जिला अस्पतालों और चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कीमोथेरेपी के लिए 18 डे केयर सेंटरों को उपकरणों से लैस और स्तरोन्नयन करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य कैंसर रोगियों को उनके जिला में ही सुलभ उपचार प्रदान करना है, जिससे उन्हें उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इससे मरीजों और उनके परिवारों के समय और धन दोनों की बचत होगी।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड़ में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना कर महत्त्वपूर्ण मशीनों से लैस करने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सिविल अस्पताल मनाली, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पांवटा, सिविल अस्पताल देहरा, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पांवटा, सिविल अस्पताल देहरा और सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण आपूर्ति को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने नाहन, नालागढ़, मौहल और रोहडू में नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के साथ–साथ हमीरपुर जिले के जलाड़ी में एक नया मिल्क चिलिंग सेंटर और ऊना जिले के झलेरा में एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को भी मंजूरी दी। दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ में उद्यम संसाधन नियोजन ईआरपी साफ्टवेयर प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इससे संघ के संचालन का डिजिटलीकरण होगा और किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारियां आसानी से उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक पदों के युक्तिकरण को भी मंजूरी दी।

उप–मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए चार डिज़िटल प्रणालियों का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को लोगों के

लिए सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ इन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और लाभकारी दिशा में ले जाना है।

इस अवसर पर उप–मुख्यमंत्री ने निगम के कार्यों को और अधिक डिज़िटल और प्रभावी बनाने के लिए चार नए आईटी साफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा रियायती पास के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। अब विद्यार्थी, प्रदेश सरकार के कर्मचारी और व्यापारी वर्ग ऑनलाइन पास के लिए आवदेन कर सकेंगे और पास बनाने के लिए देय राशि भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। निगम द्वारा पेपरलैस आरएफआईडी आधारित पास कार्ड जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा एक नई डिज़िटल निरीक्षण प्रणाली भी शुरू की गई है जिससे अब सभी बसों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जा सकेगी। इसके अलावा शिमला की 82 बसों में जीपीएस आधारित बस ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई जिसे चरणबद्ध तरीके से सभी बसों में लागू किया जाएगा, साथ ही एचआरटीसी हिम एक्सेस नामक एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से निगम के नौ हजार से अधिक कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वेतन संबंधी विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे। अग्निहोत्री ने बताया कि राज्यभर के विभिन्न बस अड्डों की मुरम्मत और रख–रखाव के लिए सात करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सभी बस अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिलासपुर के 'मंडी–भराड़ी' में एक आधुनिक बस अड्डे की स्थापना की जाएगी, ताकि यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में इलैक्ट्रिक बसों के आगमन से पूर्व आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बस अड्डों एवं कार्यशालाओं में ई–चार्ज़िंग स्टेशन जल्द से जल्द स्थापित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल ने 'हिम बस प्लस' नामक एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी। यह योजना पहचान प्रबंधन और कैशलेस भुगतान दोनों को एकीकृत करेगी। इस योजना के अन्तर्गत कार्ड धारकों को सभी एचआरटीसी बसों वॉल्वो सहित किराए में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इस कार्ड से हर महीने यात्रा के आधार पर यात्रियों को लॉयल्टी प्रोग्राम के अन्तर्गत कैशबैक भी दिया जाएगा।

अग्निहोत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र से मिल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सुपर लग्जरी बसों के हिमाचल क्षेत्र के किराये पर 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। 'हिम बस प्लस' कार्ड से यात्रा करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलने के साथ यात्रियों को कुल 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।

उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शिमला के आसपास के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए टूरिस्ट–डे सर्किट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गैर परिचालन राजस्व बढ़ाने के दृष्टिगत टिकटों, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर विज्ञापन नीति लागू करने और निगम के खुद के पेट्रोल पम्पों में आम जनता के लिए इंधन बिक्री के लिए दो–तीन स्थानों पर पायलेट आधार पर रिटेल फ्यूल आउटलेट, शुरू करने की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा उप–मुख्यमंत्री ने यात्रियों की सुविधा और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी मार्गों पर ढाबा/रेस्तरां की सूचीबद्धता एवं आबंटन के लिए एक समग्र 'ढाबा नीति लागू' करने के भी निर्देश दिए।

अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निगम के कर्मचारियों की वर्दी का रंग 'ग्रे' से बदल कर खाकी किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण फिलहाल कर्मचारियों को एक वर्दी के बदले नकद राशि दी जाएगी। उन्होंने वर्दी खरीद प्रक्रिया को एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बसों की जांच के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है जिससे निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, उपाध्यक्ष एचआरटीसी अजय वर्मा, निदेशक परिवहन डी.सी. नेगी, विशेष सचिव वित्त विजयवर्धन, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार, संयुक्त सचिव पीडब्ल्यूडी सुरजीत राठौर, प्रबंध निदेशक एचआरटीसी डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक मंडल के सभी गैर सरकारी सदस्य तथा एचआरटीसी एवं बीएसएमडीए के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हाल ही में राज्य में बादल फटने और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस मानसून के दौरान भवनों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, आवासीय संपत्तियों के अलावा बहुमूल्य मानव जीवन को भी भारी नुकसान हुआ है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से जमीन गवां चुके आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। राज्य का 68 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में है, इसलिए उन्होंने पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने नदियों में गाद भरने के बारे में भी चर्चा करते हुए आपदा निवारण के लिए गाद के निपटान के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में बादल फटने की पुनरावृति के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा भी किया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय अन्वेषकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 80वें दौर की सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय अन्वेषकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आर्थिक सलाहकार डॉ. विनोद कुमार राणा ने इस कार्यशाला का शुभारम्भ किया। कार्यशाला में घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण को कवर किया गया। यह सर्वेक्षण कार्यक्रम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्रीय संचालन प्रभाग, शिमला के संयुक्त तत्वाधान से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

डॉ. विनोद कुमार राणा ने कहा कि सांख्यिकी एक शक्तिशाली तकनीक है और इसके अच्छे परिणामों के लिए आंकड़ों के संकलन एवं आगामी कार्य में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रयोग से आंकड़ों का संग्रहण समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने आकस्मिक परिस्थितियों की योजना बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्य नमूना में लगभग 144 गांव एवं 56 शहरी खंडों से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे तथा केंद्र नमूना में भी अनुमानित इतनी ही इकाइयां सम्मिलित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण घरेलू पर्यटन पर खर्च, घरों की विशेषताएं, यात्रियों की विशेषताएं तथा यात्र से संबंधित जानकारी जैसे कि रात्रि प्रवास वाली यात्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण के दौरान उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी नीति निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना और टूर पैकेजों के विकास हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

आर्थिक सलाहकार ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे पूर्व की भांति आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को सही और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने में सहयोग करें। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक अनुपम शर्मा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

1999 में लॉटरी सिस्टम हमने बन्द किया:धूमल

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की चार दिवसीय महामंथन मंत्रिमंडल बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय, प्रदेश में लॉटरी को पुनः आरंभ करने की निंदा करते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय से हिमाचल प्रदेश केवल मात्र बर्बादी की ओर बढ़ेगा।

प्रो धूमल ने कहा कि आज से 30 वर्ष पहले 17 अप्रैल 1996 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चल रही सिंगल डिजिट लॉटरी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके उपरांत जब मैं स्वयं 1998 में पहली बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना उसके अगले वर्ष 1999 में हमारी भाजपा सरकार ने एक मत में निर्णय लिया की हिमाचल प्रदेश में पूरा लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल मात्र एक निर्णय नहीं था, अपितु पूरे प्रदेश को बर्बादी से बचाने की एक दूरगामी सोच थी। उसे समय हिमाचल प्रदेश की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, सेवानिवृत कर्मचारी, मजदूरों एवं युवाओं ने बड़ी संख्या में लॉटरी खरीदनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरी, युवाओं की बचत, सेवानिवृत की पेंशन और मजदूरों का पैसा दाव पर लग गया था और कई परिवार एवं घर तबाह हो गए थे। इस अभिशाप लॉटरी की आदत हिमाचल प्रदेश की जनता को ना लग जाये इसलिए जनहित में लॉटरी को बंद किया गया था।

उस समय कई कर्मचारी एवं सेवानिवृत कर्मचारियों ने अपना वेतनमान एवं रिटायरमेंट की कमाई लॉटरी में गंवाई थी।

प्रो प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 2004 में कांग्रेस की सरकार ने लॉटरी को फिर शुरू किया और उसके उपरांत तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा इस लॉटरी सिस्टम के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। शायद पूर्व मुख्यमंत्री को भी समझ आ गया था की लॉटरी एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश को केवल मात्र इससे लगभग चार-पांच करोड़ की आमदनी हुआ करती थी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कुल 231180 कर्मचारी काम कर रहा है, जिसमें से 160000 पक्के कर्मचारी है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 9 से 10 लाख बेरोजगार है जिनको इस लॉटरी प्रथा से बड़ा खतरा है, जिससे इनका जीवन दाव पर लग सकता है। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार सत्ता में प्रथम कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को और 5 साल में 5 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने के वादे पर सत्ता में आयी थी पर असलियत जिस प्रकार से निकल कर सामने आ रही है की हिमाचल प्रदेश शराब, चिट्टा, भांग, नशा और लॉटरी का गढ़ बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के जन विरोधी निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले।

लॉटरी माफिया के दबाव में लागू हुई लॉटरी:जयराम

शिमला/शैल। विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश

में लॉटरी शुरू करने का फैसला सरकार द्वारा लॉटरी माफिया के दबाव में लिया गया। यह प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। प्रदेश में लॉटरी लागू हुई तो सरकार को यह भी बताना चाहिये कि फैसला किसके दबाव में लिया गया, किस-किस से क्या लेनदेन हुआ? कहां लेन देन हुआ?

भाजपा एक सुर में लॉटरी सिस्टम को लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध करती है और तत्काल वापस लेने की मांग करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सरकार 5 लाख नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आयी थी, वही सरकार आज प्रदेश के लिये लॉटरी को वैध करने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। लॉटरी लागू करने को लेकर जिस प्रकार से सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तर्क दिया जा रहा है वह और भी हैरानी भरा है। क्या सरकार के पास शराब के अंधाधुंध ठेके खुलवाने, भांग की खेती को वैध बनाने, लॉटरी को कानूनन वैध घोषित करके राजस्व कमाने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है? स्वाबलंबन जैसी योजनाओं को तो सरकार ने अघोषित रूप से बंद कर रखा है, रोजगार के सृजन के साधनों पर अपनी नाकामी से बंदिशें लगा रखी है। मेरा मुख्यमंत्री से पुनःआग्रह है कि वह प्रदेश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें और लॉटरी से होने वाले नुकसान के बारे में समझे और अपने फैसले को वापस ले।

प्रदेश में भाजपा की 17 जिला कार्यकारणियां घोषित:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा की 17 जिला कार्यकारणीयों की घोषणा हो चुकी

है और जल्द ही भाजपा की प्रदेश टोली की घोषणा हो जाएगी।

उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो एक समय संसद में 500 सांसदों के साथ होती थी आज बड़ी कम संख्या के साथ सिमट कर रह गई है, जहां की भाजपा दो सांसदों से आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिंदल ने कहा भाजपा के लिए देश का तिरंगा आन, बान और शान है। हम पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे और वीर योद्धाओं का स्मरण भी करेंगे। भाजपा 171 मंडलों में 15 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी करेगी। बिंदल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा एक साल से हिमाचल कांग्रेस का पूरा संगठन भंग है ना बूथ पर, ना प्रदेश में कांग्रेस का एक भी नेता है पर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है और नई टीम के साथ नई ऊर्जा लेते हुए काम में लग जाता है।

बिंदल ने संगठन की जानकारी देते हुए कहा की जिला कार्य समितियो के गठन में हमारे 17 जिलों में कुल कार्यसमिति सदस्य 874 है, जिसमें से महिलाएं 358 और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी 258 है। अगर हम मंडलों की बात करें तो पहले हम 74 थे अब हम 171 है कुल मंडल कार्यसमिति सदस्य 7587 जिसमें से महिलाएं 2569 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी 3532 है।

भाजपा 8007 बूथों में से 7870 बूथों पर 11 सदस्य समिति गठित कर चुकी है। भाजपा के बूथ स्तर पर कल कार्यकर्ता 89646 है। बिंदल ने कहा कि भाजपा का संगठन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है।

पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश में 24,967.76 कि.मी. परियोजनाएं स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राजमार्ग मन्त्री कमलेश पासवान ने सदन में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में 24,967.76 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमे से अब तक 22,380.09 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिए गया है।

उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक देश में 8,38,611 किलो मीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमे से अब तक 7,83,304 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिए गया है। उन्होंने बताया की सरकार ने योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मार्च 2029 तक 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इन गांवों को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों ने जी आई एस एप्लीकेशन का उपयोग किया।

उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों से 1,555 किलो मीटर लम्बी 300 सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव मंत्रालय को मिला है। उन्होंने बताया की योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों के, 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले तथा माओबाद हिंसा से प्रभावित 100 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को सडक मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया की मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में 50 प्रतिशत या ज्यादा अनुसूचित जनजाति के गांवों को प्राथमिकता की जायेगी जबकि एस्पिरेशनल जिलों में 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में 50 या ज्यादा अनुसूचित जनजाति वर्ग के गांवों को प्राथमिकता की जाएगी। उन्होंने बताया की योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत पी एम जनमन योजना के अन्तर्गत देश के जन जातीय क्षेत्रों में वर्ष 2027-28 तक 8000 किलो मीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से 6,506 किलो मीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।